

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 29, 2010/कार्तिक 7, 1932

No. 602]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2010/KARTIKA 7, 1932

## कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अन्त्र्बर, 2010

सा.का.नि. 866(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 की उप-धारा (1), उप-धारा (2), उप-धारा (5) और उप-धारा (8) और धारा 609 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (संशोधन) विनियम, 2010 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कम्पनी विनियम, 1956 में, विनियम 2 में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :--
  - "(घ) "प्रादेशिक निदेशक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में अपने अपने क्षेत्रों के लिए किसी प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत हैं :

(+)	(2)	_(3)
(i) प्रादेशिक निदेशक	उत्तरी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)	जम्मू-कश्मीर राज्य, पंजाब राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य, हरियाणा राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तराखंड राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़।
(ii) प्रादेशिक निदेशक	दक्षिणी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, चेन्नई	आंध्र प्रदेश राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य, केरल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा पुडुचेरी।
(iii) प्रादेशिक निदेशक	पूर्वी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, कोलकाता	बिहार राज्य, <b>झारखं</b> ड राज्य, उड़ीसा राज्य और पश्चिमी बंगाल राज्य ।
(iv) प्रादेशिक निदेशक	पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, मुखई	महाराष्ट्र राज्य, गोवा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव ।

- - "(d) "Regional Director" means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director for the respective regions as under :-

(1)	(2)	(3)
(i) Regional Director	North Region Directorate Headquarter at Noida (Gautam Budh Nagar)	States of Jammu and Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, National Capital Territory of Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Union Territory of Chandigarh.

(1)	(2)	(3)
(ii) Regional Director	Southern Region Directorate Headquarter at Chennai	States of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Lakshadweep, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Puducherry.
(iii) Regional Director	Eastern Region Directorate Headquarter at Kolkata	States of Bihar, Jharkhand, Orissa, West Bengal.
(iv) Regional Director	Western Region Directorate Headquarter at Mumbai	States of Maharashtra, Goa and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
(v) Regional Director	North Western Region Directorate Headquarter at Ahmedabad	States of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chattisgarh.
(vi) Regional Director	North Eastern Region Directorate Headquarter at Guwahati	States of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur and Tripura."

[F. No. 5/18/2005-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 432B, dated 18-2-1956 and subsequently amended by :—

- 1. No. G.S.R. 188, dated 09-01-1958
- 2 No. G.S.R. 399, dated 24-03-1962
- 3. No. G.S.R. 1850, dated 01-12-1966
- 4. No. G.S.R. 1445, dated 16-09-1967
- 5. No. G.S.R. 668, dated 10-06-1973
- 6. No. G.S.R. 523, dated 11-07-1989
- 7. No. G.S.R. 367(E), dated 31-05-1991
- 8. No. G.S.R. 924(E), dated 14-12-1992
- 9. No. G.S.R. 610(E), dated 23-09-2005
- S.O. 1291(E), dated 30-07-2007.